



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 301 राँची, शुक्रवार, 15 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
5 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

28 अगस्त, 2023

ज्ञापांक- 03/म०स०/RPwD Act-308/2017- 1856--

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में झारखण्ड सरकार, झारखण्ड दिव्यांग जन अधिकार नियमावली, 2018 सहपठित झारखण्ड दिव्यांग जन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2023 में निम्नांकित संशोधन करते हैं ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

- यह नियमावली झारखण्ड दिव्यांग जन अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जायेगा ।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड दिव्यांग जन अधिकार नियमावली, 2018 के अध्याय -9 के नियम-29 में राज्य निःशक्तता आयुक्त, दिव्यांग जन की नियुक्ति के लिए योग्यता अन्तर्गत पूर्व के प्रावधानों को विलोपित करते हुए निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-

- 29- राज्य निःशक्तता आयुक्त, की नियुक्ति के लिए योग्यता :** किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा-79 की उपधारा-1 के तहत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त, के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य होगा, यदि
- दिव्यांग जनो के पुनर्वास अथवा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामलो के संबंध में उनके पास विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो ।
 - विज्ञापन की तिथि के दिन अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक न हो ।
 - इनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव हों, अर्थात,

क. शैक्षणिक योग्यता:-

- जरूरी: एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक,

ख. अनुभव :-

- दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभाग में कम से कम 3 (तीन) वर्ष के पदस्थापन का अनुभव रखने वाले-
- (क) केन्द्र सरकार के समूह 'क' के कार्यरत / सेवानिवृत्त पदाधिकारी, अथवा,
- (ख) राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून कार्यरत / सेवानिवृत्त पदाधिकारी, अथवा,
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्द्ध सरकारी या सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय में दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र के मामले देखने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले समूह 'क' स्तर के पदाधिकारी, अथवा
- दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुप्रसिद्ध स्वैच्छिक संगठन में वरिष्ठ स्तर पर कार्य करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति ।

उपरोक्त कंडिका । एवं कंडिका-॥ के अन्तर्गत आवेदन करने वाले कार्यरत पदाधिकारी को अपने पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा । ऐसे पदाधिकारी अपने गहणाधिकार (Lien) के अधिकारी होंगे एवं राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर अधिकतम तीन वर्षों की सेवावधि पूर्ण करने के पश्चात् अपने पैतृक विभाग में पदधारण कर सकेंगे ।

- झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के नियम -30 में राज्य निःशक्तता आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया अन्तर्गत पूर्व के प्रावधानों को विलोपित करते हुए निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-

30-राज्य निःशक्तता आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया:-

- (क) राज्य निःशक्तता आयुक्त का पद रिक्त होने के कम से कम छह महीने पहले, विज्ञापन कम से कम दो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में। नियम 29 में वर्णित मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र उम्मीदवारों से पद के लिए आवेदन आमंत्रित की जाएगी ।
- आवेदन आमंत्रित कर राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य निःशक्तता आयुक्त के लिए तीन उपयुक्त उम्मीदवारों के एक पैनल को अनुशंसा करने का निर्देश दिया जाएगा।

- iii. चयन समिति का गठन राज्य सरकार के संबंधित प्रशासी/नोडल विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार होगा ।
 - iv. चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में उन लोगो को शामिल किया जा सकता है जिन्होंने उर्पयुक्त दिये नियम-29 के तहत किए गए विज्ञापन के विरुद्ध में आवेदन किया है ।
 - v. राज्य सरकार, चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से एक अभ्यर्थी को राज्य निःशक्तता आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी ।
 - vi. नियुक्ति के उपरांत कतिपय कारणवश राज्य निःशक्तता आयुक्त अन्य किसी कारण से पद का त्याग करते हैं तो राज्य सरकार अनुशंसित पैनल में से किसी दूसरे व्यक्ति को राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्त कर सकेगी। नियुक्ति प्रक्रियापूर्ण होने तक प्रशासी विभाग के मंत्री द्वारा विभाग में पदस्थापित संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारीको राज्य निःशक्तता आयुक्त का प्रभार दिया जा सकेगा।
4. झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 केनियम- 31 में राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यकाल अन्तर्गत पूर्व के प्रावधानों को विलोपित करते हुए निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-

31- राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यकाल-

- i. राज्य निःशक्तता आयुक्त, को पूर्ण कालिक आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रशासी विभागद्वारा सेवा की अवधि विस्तार 01-01 साल का अधिकतम दो बार तक किया जा सकेगा ।
 - ii. उपरोक्त नियुक्ति राज्य निःशक्तता आयुक्त का पद धारण करने वाले व्यक्ति के अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक के लिए होगी ।
 - iii. राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर एक व्यक्ति अधिकतम दो नियुक्ति के पात्र होंगे।
5. झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 सहपठित झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2023 के अन्य प्रावधान यथावत होंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव